न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–चर्तुथ/विशेष न्यायाधीश, औरैया।

गैंगेस्टर सत्र परीक्षण–04/2016

राज्य बनाम सलमान आदि।
अ0सं0–313/2015
धारा–3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम
थाना–दिबियापुर, जिला–औरैया।

दिनांकः–05.09.2019

पुकारा गया।

अभियुक्त राजू उर्फ छोटू, बबलू उर्फ नसीमुद्दीन मय विद्वान अधिवक्ता धर्मेन्द्र सिंह सेंगर उपस्थित।

अभियुक्त गुड्डन की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र 50ख जरिये अधिवक्ता मात्र आज के लिये स्वीकृत।

अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र 49ख अदम तामीला थाना दिबियापुर, औरैया की आख्या में वर्णित है कि अभियुक्त सलमान के घर व सम्भावित सीनों पर दबिश देने पर उक्त अभियुक्त दस्तयाब नहीं हुआ। जब कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह सेंगर ने बताया कि उक्त अभियुक्त सलमान जिला कारागार, कन्नौज में किसी अपराध में निरूद्ध है इसलिये सम्बन्धित थानाध्यक्ष दिबियापुर, औरैया उक्त तथ्य के प्रति स्पष्टीकरण दें कि क्या उसने न्यायालय द्वारा जारी उक्त गैर जमानतीय अधिपत्र का तामीला 49ख अभियुक्त सलमान के घर व सम्भावित सीनों पर वास्तव में गया था और यदि हां तो रोजनामचा की प्रति के साथ न्यायालय को नियत तिथि को प्रेषित करें।

अभियुक्त सलमान जिला कारागार, कन्नौज से तलब हो। आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु थानाध्यक्ष दिबियापुर को प्रेषित हो।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा विरचित आरोप दिनांक 05.09.2016 में लिपिकीय त्रुटिवश अभियुक्त सलमान के स्थान पर अभियुक्त अमित सिंह सेंगर उर्फ धीरू सेंगर दर्ज हो गया है। जिसे संसोधित करके शुद्ध किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य पी0डब्लू0–02 एस0ओ0 शैलेन्द्र सिंह दिनांक 09.10.2019 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र एव न्यायाधीश–चतुर्थ/
विशेष न्यायाधीश/गैंगेस्टर कोर्ट, औरैया।